तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जगदीश विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 110 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.20	अपीलार्थी जगदीश विश्नोई पुत्र ठाकरराम विश्नोई पता खिलेरी कृषि फार्म, बाईपास रोड़, चौहटन जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.06..20 में उसके द्वारा (1) ग्राम कापरड़ा पटवार हलका कापरड़ा खसरा नम्बर 1/12 दीपक अरोड़ा जरिये सीमेक्स मार्केटिंग लिमिटेड खरीदने से लेकर सूचना देने तक किन किन को बेचान किया कि प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित [illegible] जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में [illegible] में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने [illegible] अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2020.10.13 17:41:57 IST
Reason: SelfAttested